

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 5.9.1992

की

कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
5 सितम्बर, 1992 में विचारणीय विषयों
की कार्य-सूची
=====

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ
1	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-6-92 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	1
2	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-6-1992 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	11
3	स्लेज फार्म की भूमि के प्रतिकर हेतु हड़को से श्रण लेने के सम्बन्ध में ।	21
4	भूमि अर्जन के अन्तर्गत आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत व आपरेशनल फाइनेन्स के अन्तर्गत हड़को वा अन्य वित्तीय संस्थाओं से श्रण लेने के सम्बन्ध में ।	22
5	गोमती नगर योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु भावनों का वित्त पोषण हड़को से कराने के सम्बन्ध में ।	24
6	श्री एन०के०नारंग को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत आवन्तित भूखण्ड सं०:2/181 विजय हाण्ड की दर निर्धारण के सम्बन्ध में ।	25
7	प्राधिकरण की योजनाओं में ग्रुप-हाउसिंग हेतु भूखण्डों का निस्तारण ।	27
8	गोमती नगर योजना में से० इन्डियन होटल §ताज§ को आवन्तित भूमि से तैलग्न ग्रीन-बेल्ड की भूमि के आवन्तन के सम्बन्ध में ।	28
9	नेशनल म्युजियम आफ़ नेचुरल हिस्ट्री पर्यावरण विभाग को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विनीत हाण्ड में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	38
10	नीबू बाग़ नाले के समीप महायोजना के अन्तर्गत पार्क एवं क्रीडा स्थल हेतु आरक्षित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	39
11	आई०टी०कॉरिडोर से रैदास मन्दिर के पश्चिम की ओर लगभग 1289 वर्गमीटर भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	40

- 12 .डॉ० श्रीमराव अम्बेदकर विश्व विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण सम्बन्धी प्रस्ताव को कानपुर रोड नगर योजना भाग-6 के अर्जनीय प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में । 41
- 13 कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6 द्वारा बरेली रोड के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्राम हैबतमऊ मर्चबा के हातरा तः 1717 की भूमि को अर्जनीय प्रस्ताव से बहिष्कृत करने के सम्बन्ध में । 43
- 14 श्री बाबू लाल शर्मा को गोमती नगर योजना में आवन्तित भूखण्ड की रिबायती दर लिये जाने के सम्बन्ध में । 44
- 15 राज्य नगरीय क्षेत्रों में ग्रुप-हाउसिंग पैटन को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में । 46
- 16 गोमती नगर योजना के फेज-1 के अन्तर्गत विभिन्न कारणों से आवन्तियों को कब्जा न दिये जाने के कारण किसी अन्य स्थान पर पुनः आवन्तन के सम्बन्ध में । 47

विषय संख्या: ।

पृष्ठ संख्या:

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक: 24-6-92 के कार्यवृत्त का
पुष्टिकरण ।

=x=x=x=x=

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 24-6-1992 का कार्यवृत्त पुष्टि
हेतु संलग्न किया जा रहा है ।

- कार्यवृत्त स्वयं उन्होंने अनुमोदित किया था और यह जोक है। तदुपरान्त कार्यवृत्त को सुविष्ट सर्वसम्मति से को गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण को बैठक दिनांक: 16.11.91 में लिये गये निर्णयों को अनुमानन आख्या।
- विषय संख्या: 2 निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण को बैठक दिनांक: 16.11.91 में लिये गये निर्णयों का अनुमानन आख्या का संस्था माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया।
- विषय संख्या: 3 मलवा संवय शुल्क से सम्बन्धित।
- §अ§ मनोमता पन्दिार, विराम गुण्ड, गोमती नगर योजना के मानचित्र पर मलवा संवय शुल्क न लिये जाने के संबंध में।
- §ब§ स्कूलों से का मलवा चार्जज लिये जाने के संबंध में।
- निर्णय: §अ§ निर्णय लिया गया कि विषय संख्या: 3 §ब§ भी स्कूलों के मलवा शुल्क के बारे में प्रस्तुत किया गया है, अतः उस विन्दु पर अलग से निर्णय को आवश्यकता नहीं है। विषय संख्या: 3 §ब§ के संबंध में लिया गया निर्णय इस प्रकरण में भी लागू होगा।
- §ब§ माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि स्कूल भूखण्ड के संबंध में शासन द्वारा पर्याप्त रिषायती दी गई हैं और रिषायती दर पर भूखण्ड भी उपलब्ध कराया जाता है। अतः स्कूलों के निर्मित क्षेत्रफल पर लगाये गये मलवा चार्जज के बारे में कोई अलग नीति बनाया जाना उपयुक्त न होगा। अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है।
- विषय संख्या: 4 गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उनको भूखण्ड दिये जाने के संबंध में।
- निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिन कृषकों को भूमि अधिग्रहित की गई है उन्हें भूखण्ड/भवन/दुकान दिये जाने की पूर्व घोषित नीति में कोई परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः रिषायती दर पर सम्पत्ति दिये जाने का प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।
- विषय संख्या: 5 परिवर्तन शुल्क के संबंध में।
- निर्णय: प्रस्ताव पर निर्णय किन्हाल स्थागत रखा गया तथा निर्देश दिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में भवन/भूखण्ड परिवर्तन के संबंध में पूर्ण प्राकृया जिसमें सम्भावित परिवर्तनों का आख्या देने हेतु एक समिति गठित कर दी जाय जो विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष महोदय

से अनुमोदन प्राप्त करके कार्यवाही करेंगे। उक्त रिपोर्ट पर मुख्य नगर एवं ग्राम निरीक्षक से भी राय ले ली जाय। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि यह समिति सामान्य प्रक्रिया के बारे में अपनी आख्या देगी तथा उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी किन्तु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण जनहित में कोई परिवर्तन करने के लिये अधिकतम रहेंगे।

विषय संख्या: 6

किराया कृय पद्धति के अन्तर्गत आर्कडित किये जाने वाले भवनों को सामान्य शर्तों से संबंधित।

निर्णय:

किराया कृय पद्धति के भवनों के बारे में प्राधिकरण द्वारा दिनांक: 10.7.91 की बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसे दिनांक: 16.11.91 की बैठक में स्थगित कर दिया गया था, वह फिलहाल स्थगित रहेगा। विषय संख्या: 5 पर जो भी नीति निर्धारित हो, उसी के अनुसार इस प्रकार की सम्पत्ति पर भी कार्यवाही की जाय।

विषय संख्या: 7

लखनऊ विकास प्राधिकरण को बैलेन्स शीट वर्ष 1988-89 पर तथाख्यात्मक टिप्पणी।

निर्णय:

वित्तीय वर्ष 1988-89 को बैलेन्स शीट का अवलोकन किया गया। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि प्रस्ताव के अनुसार इसकी एक प्रति निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी जाय। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जो कमियाँ इंगित की गयी हैं, वह विशिष्ट एवं स्पष्ट नहीं हैं। अतः मुख्य लेखाधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के साथ बैठकर उनका विस्तृत विवरण प्राप्त करें और चाई गयी कमियों का निराकरण कराकर प्राधिकरण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करायें।

विषय संख्या: 8

दैनिक वेतन भोगी ड्राईवरों को ग्रीडकालान व शीत-कालीन वर्दी दिये जाने के संबंध में।

निर्णय:

विद्यारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस संबंध में शासन के निर्देशों का पालन किया जाय।

विषय संख्या: 9

कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3 के अन्तर्गत ग्राम-किला मोहम्मदी नगर स्थित "राजा बिजली घासी का किला" विलयक भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने के संबंध में।

निर्णय:

महाराजा बिजली घासी के किले की भूमि के संबंध में निर्णय दिया गया कि शासनादेश दिनांक: 13.6.91 में दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

क्रमशः -----

विषय संख्या: 10

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० द्वारा प्रस्तावित लखनऊ महायोजना में 2001 में गोमती नगर योजना में भू-उपयोग में अंतर्गत परिवर्तन के संबंध में ।

निर्णय:

निर्णय लिया गया कि उ०प्र० में अंतर्गत परिवर्तनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करना आवश्यक है जो इनका पालन करते अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

1. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
3. मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
4. आयुक्त, उ०प्र०/आवास एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि ।

विषय संख्या: 11

अभिनय स्विचरटरी थियेटर रेण्ड रिचर्ड इंस्टीट्यूट, लखनऊ को गोमती नगर योजना के विभाग खण्ड-5 में भूमि दिये जाने के संबंध में ।

निर्णय:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अभिनय स्विचरटरी थियेटर रेण्ड रिचर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे उन्हें भूमि दिये जाने का कोई औचित्य बनता हो फिर भी उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास - प्राधिकरण इस प्रकरण को स्वयं देखें । यदि कोई औचित्य बनता हो तो प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जाय ।

विषय संख्या: 12

भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
१ अ० प्राधिकरण के गोमती नगर योजना विभाग खण्ड में पार्क हेतु आरक्षित 1400 वर्ग मीटर भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।

१ अ० आई०बी०पी० कम्पनी को पेट्रोलियम प्रोजेक्ट के ब्लॉक स्टोरेज हेतु अमौती रेलवे स्टेशन के तटीय लगभग 19.5 एकड़ भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।

निर्णय:

१ अ० इस संबंध में विषय संख्या: 10 के अन्तर्गत गठित समिति परीक्षण करके आख्या प्रस्तुत करेंगी ।

१ अ० विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 13

गोमती नगर योजना के विभाग खण्ड में प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क के महायोजना में एलाइनमेंट में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय:

विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया गया क्योंकि निर्माण किया जा चुका है।
किसी: _____

विषय संख्या: 14

श्रीमती गैजुल अग्रवाल पत्नी श्री नरेश अग्रवाल, विधायक हरदोई को आर्बिट्रल सीतापुर रोड योजना के भूखण्ड के स्थान पर गोपती नगर योजना के नेहरू इन्क्लेव योजना में या विशेष खण्ड में भूखण्ड परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय:

निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अभिति गठित कर दी गई है, अतएव इस विषय में निर्णय स्थगित किया जाता है ।

विषय संख्या: 15

कानपुर रोड योजना के सेक्टर "डी", "एफ" एवं "जी" में भूतल के आवण्टियों को प्रथम तल पर भवन आवण्टित करने के संबंध में ।

निर्णय:

निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष मीके पर स्थिति का परीक्षण कर, कार्यवाही करें तथा प्राधिकरण को सूचित करें ।

विषय संख्या: 16

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को वाहन भत्ता के संबंध में ।

निर्णय:

निर्णय लिया गया कि अन्य प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि वहाँ फोल्ड स्टाफ को वाहन - भत्ता की क्या दरें हैं, तत्पश्चात् प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय ।

अनुविषय संख्या: 1

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल एवं डा० जगदीश चन्द्र अग्रवाल को उनकी भूमि के बदले गोपती नगर योजना में भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

निर्णय:

निर्णय लिया गया कि श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल एवं डा० जगदीश चन्द्र अग्रवाल को उनकी भूमि के बदले गोपती नगर योजना के द्वितीय चरण में लगभग 6,000 वर्गफिट का आवासीय भूखण्ड इस अर्त पर दे दिया जाय कि वे माननीय उच्च न्यायालय से अपना वाद वापस ले लें । उक्त व्यक्तियों से वर्ष 1985 में प्रचलित दर रु० 150 प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास व्यय ले लिया जाय ।

अनुविषय संख्या: 2

लखनऊ विनियमित क्षेत्र में लागू श्रमन शुल्क की दरों व निर्देशों को संशोधित किये जाने हेतु उपविधियाँ ।

निर्णय:

निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण इस प्रस्ताव का पुनः परीक्षा करके टिप्पणी आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे । इस बीच श्रमन सम्बन्धी जो भी प्रकरण निस्तारित किये जाने हैं उनमें फ्रन्ट सेट-बैक में श्रमन की अनुमति न दी जाय ।

अनुविषय संख्या: 3

बजट की प्रत्याशा हेतु अनुमोदन ।

निर्णय:

विचारोपरान्त बजट की प्रत्याशा में किये गये आवश्यक भुगतानों का अनुमोदन किया गया ।

दिनांक: _____

अनुविषय संख्या: 4 जनसेवक कार्यालय लि०, पॉलिटेक्नीक वि० टाइम्स आफ इण्डिया तथा नव भारत टाइम्स को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन से संबंधित ।

निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् प्रेत को भूमि देने के संबंध में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में निम्नोक्त सदस्यों की समिति गठित की गई जो इस सम्बन्ध में नीति विषयक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:-

1. विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. संयुक्त सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
4. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि ।

अनुविषय संख्या: 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहकारी आवास समितियों को भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । परन्तु इस सुविधा हेतु वही समितियाँ मात्र होंगी जिन्होंने अंतिम की विज्ञप्ति में पूर्व भूमि क्रय कर ली है ।

अनुविषय संख्या: 6 गोपती नगर योजना में मे० इण्डियन होटल ताज को आवंटित भूमि से संलग्न ग्रीन-बेल्ट का भूमि आवंटित किये जाने से संबंधित ।

निर्णय: प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव के पैरा-12 के सम्बन्ध में निम्न निर्णय दिये गये:-

क्रमांक-1 पर अंकित गणना नजूल के संबंध में है अतएव ताज होटल के मॉडर्न संदर्भित भूमि पर यह गणना लागू नहीं होगी । क्रमांक-2 में प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि पर जो गार्डन लीज दी जाती रही है उसके अनुसार यह गणना की गयी है वह अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है किन्तु यह ध्यान रखा जाय कि ताज होटल द्वारा इस 25 एकड़ भूमि पर पार्क विकसित किया जायेगा तथा इस पार्क को प्रयोग करने की जन साधारण को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी एवं इस पार्क में प्रदेश संबंधी शुल्क लखनऊ विकास प्राधिकरण के हाते में जमा होगा और प्रदेश शुल्क वसूल करने की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगी । उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए क्रमांक-2 में अंकित धनराशि को और कम कर दिया जाय । फिर भी पुनर्निर्णय धनराशि कितनी हो, यह निर्णय शासन पर ही छोड़ दिया जाय । ताज की महापौर के बारे में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि वह अपनी भूमि

- अनुविषय संख्या: 7 श्री एस0सी0 एफ, तत्कालीन उप सचिव, लखनऊ विकास-प्राधिकरण को आवंटित जमीन संख्या: यू0जी0आई -963 (चौरी गंगा) को ल0वि0आ0 के स्टाक से "राइट-आफ" किये जाने के संबंध में ।
- निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास-प्राधिकरण के स्टाक से चौरी गंगा जमीन संख्या:- यू0जी0आई0 963के मूल्य ह्रास के उपरान्त रू0 65,910/= को "राइट-आफ" कर दिया गया । साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण के समस्त वाहनों का बीमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।
- अनुविषय संख्या: 8 दण्ड ब्याज माफ किये जाने के संबंध में ।
- निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दिनांक: 1.1.1988 से दिनांक: 15.11.1990 तक की अवधि के दण्ड ब्याज की 50% धनराशि माफ कर दी जाये और दिनांक: 15.11.1990 के बाद की अवधि के पूर्ण दण्ड ब्याज को धनराशि प्राप्त की जाय ।
- अनुविषय संख्या: 9 श्री एस0के0 नारँग को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या: बी-2/181, निजम खण्ड की दर निर्धारण के संबंध में ।
- निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि विधायक आवास समिति के अध्यक्ष से यह ज्ञात कर लिया जाय कि श्री नारँग उक्त विधायक आवास समिति के सदस्य थे । यदि ऐसा हो तो श्री नारँग को उन्हीं दरों पर भूमि दे दी जाये ।
- अनुविषय संख्या: 10 गे0 मंगल मयूर होटल के धू-उपयोग के सम्बन्ध में ।
- निर्णय: होटल हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का कुछ भाग महायोजना के आवासीय क्षेत्र में पड़ता है तथा कुछ भाग बाजार स्ट्रीट में पड़ता है । आवासीय क्षेत्र में नान-स्टार होटल बनाने की अनुमति दी जाती है । अतएव धू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग से नान-स्टार होटल का प्रमाण-पत्र एफ0ए0आर0 ग्राउण्ड फ्लोर कवरेज, ऊँचाई एवं पार्किंग के मापण्ड निर्धारित करा लिये जायें ।
- अनुविषय सं: 11 लखनऊ विकास क्षेत्र का संशोधित महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र में त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में ।
- निर्णय: अध्यक्ष, महोदय की अनुमति से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश द्वारा संशोधित महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र में त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि तदनुसार संशोधित करने की कार्यवाही की जाय ।

अनुविधान संख्या: 12 श्री २०के० कालरा व अन्य द्वारा प्रस्तुत 6, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ के प्रस्तावित गुप-हाऊसिंग मानचित्र के संबंध में ।

निर्णय: 6, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ पर श्री २०के० कालरा एवं अन्य के गुप-हाऊसिंग के मानचित्रों पर मुख्य नगर एवं ग्राम निर्माजक एवं उपाध्यक्ष द्वारा परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम निर्माजक द्वारा जमाई गयी तीन आपत्तियों का निराकरण करते हुए गुप-हाऊसिंग के मानचित्र स्वीकृत कर दिये जायें ।

परिचालित प्रस्ताव: 1 डा० आई०एस०भटनागर को गोमती नगर योजना में नर्सिंग होम हेतु आवंटित भूखण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज के माफ किये जाने के संबंध में।

निर्णय: परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।

परिचालित प्रस्ताव: 2 श्रीमती मोना कुमारी को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड के संबंध में दण्ड ब्याज न लिये जाने के संबंध में ।

निर्णय: परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।

परिचालित प्रस्ताव: 3 वर्ष 1992-93 में हुडको से वित्तमन्त्र भूमि अर्जन व आवासीय योजनाओं के अर्जात अग्र प्राप्त करने हेतु निगेटिव लिमिटेड से रू० 500.00 लाख ऋण लेने के संबंध में ।

निर्णय: परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।

परिचालित प्रस्ताव: 4 आपरेशन फाइनेन्स के अन्तर्गत हुडको द्वारा रू० 500.00 लाख ऋण लेने की अनुमति ।

निर्णय: परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।

अनुविधान सं०: 3 "अ" लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्ष 1991-92 का वास्तविक एवं वर्ष 1992-93 का प्रस्तावित मूल आय-व्ययक ।

निर्णय: वित्तार विभाग के उपरान्त वित्तीय वर्ष 1991-92 का वास्तविक एवं वर्ष 1992-93 का प्रस्तावित मूल आय-व्ययक तर्ज सम्मति से स्वीकार किया गया तथा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

१।१ भवन विभाग के मानचित्र शुल्क को मद् में

क्रमशः -----

वर्ष 1989-90 में 3.38 लाख को आय हुई है परन्तु वित्तीय वर्ष 1991-92 में मात्र रु० 2.78 लाख को आय हुई है। समाधान शुल्क से 1990-91 में रु०-5.71 लाख को आय हुई है परन्तु वर्ष 1991-92 में रु० 8.15 लाख को आय हुई है। अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि इससे प्रतीत होता है कि प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण अधिक होने के कारण समाधान शुल्क में वृद्धि हुई है।

§ 28 पूँजीगत व्यय के मद 82-विकास कार्य के निम्न मदों में व्यय कम किया गया।-

कोड नं०	व्यय के शीर्षक	मूल बजट वर्ष 1991-92	
		प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय
82020	जलोत्सारण तथा वर्षा जल निकासी	600.00	485.88
§ 050	पार्क	100.00	52.27
§ 060	मनोरंजन स्थलों का विकास	50.00	----
§ 070	नगर महामालिका को हस्तांतरित कालोनियों का विकास	10.00	----
§ 080	अन्य विकास	35.00	19.19

§ मुख्य नौचालियों सहित

अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। न. संख्या: 85/01/08 में ठेकेदारों को दिये जाने वाले अग्रिम हेतु वित्तीय वर्ष 1991-92 में रु०-20.00 लाख का प्राविधान किया गया था परन्तु मात्र 0.09 लाख ही व्यय किया गया है परन्तु वित्तीय वर्ष 1992-93 हेतु रु०-100.00 लाख का प्राविधान रखा गया है। अतः उपाध्यक्ष से भी देखा कर उचित निर्णय ले लें। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि प्राधिकरण द्वारा जो भी अग्रिमगत वर्षों में दिये गये हैं, उनके समायोजन की कार्यवाही शीघ्र की जाय और पूर्ण विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

क्रमशः -----

§ 3 § मद संख्या: 8580401 अन्य व्यय/विशेष बैंक लेखों के अग्रिम मद में वित्तीय वर्ष 1991-92 में रु० 155.14 लाख व्यय किया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 1992-93 में रु० 50.00 लाख का प्राविधान रखा गया है। निर्देश दिया गया कि उपाध्यक्ष उनका पता पता करें।

§ 4 § मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि गोमती नदी के प्रदूषण नियन्त्रण के संबंध में भी बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए। मुख्य लेखाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजस्व की मद संख्या: -2880100 में रु० 113.50 लाख का प्राविधान किया गया है। उक्त धनराशि से आवश्यकतानुसार गोमती नदी के प्रदूषण - नियन्त्रण पर व्यय की व्यवस्था कर ली जायेगी।

ह०/=-

§ आर० के० सिंह §
सचिव,

ह०/=-

§ अतुल कुमार गुप्ता §
उपाध्यक्ष,

अनुमोदित

ह०/=-

§ रमेश चन्द्र §
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

विषय संख्या: 02

पृष्ठ संख्या: 11

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 24.6.1992 में लिये गये निर्णयों की
:- अनुपालन आख्या :-

विषय संख्या	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
1	2	3	4
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 16.11.91 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दि०-16.11.91 में लिये गये निर्णयों को अनुपालन आख्या का समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया।	नोट किया गया।
3.	मलवा संचय शुल्क से संबंधित:- ॥अ॥-मनीषा मंदिर, विराम खण्ड, गोमती योजना के मानचित्र पर मलवा संचय शुल्क न लिये जाने के सम्बन्ध में। ॥ब॥ स्कूलों से कम मलवा चार्ज लिये जाने के सम्बन्ध में।	विषय संख्या: 3॥ब॥ में लिया गया निर्णय इस प्रकरण में भी लागू होगा। माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि स्कूल भूखण्डों के सम्बन्ध में ज्ञातन द्वारा पर्याप्त रियायतें दी गई हैं और रियायती दर पर भूखण्ड भी उपलब्ध कराया जाता है। अतः स्कूलों के निर्मित क्षेत्रफल पर लगाये गये मलवा चार्ज के बंधन में कोई अलग नीति बनाया जाना उचित नहीं होगा अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है।	नोट किया गया। निर्णयानुसार पक्षों को अवगत करा दिया गया है।

क्रमशः - - -

4. गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई है, उनको भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में । विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिन कृषकों की भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें भूखण्ड/भवन/दुकान दिये जाने की पूर्व घोषित नीति में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अतः रियायती दर पर सम्पत्ति दिये जाने का प्रस्ताव निरस्त किया जाता है । नोट किया गया ।
5. परिवर्तन शुल्क के सम्बन्ध में । प्रस्ताव पर निर्णय फिलहाल स्थगित रखा गया तथा विदेशनदिया गया कि उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० की अध्यक्षता में भवन/भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में पूर्ण प्रक्रिया जिसमें सम्भावित परिवर्तनों पर आख्या देने हेतु एक समिति गठित कर दी जाय जो विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त करके कार्यवाही करेगी । उक्त रिपोर्ट पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से भी राय ले ली जाय। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि यह समिति सामान्य प्रक्रिया के बारे में अपनी आख्या देगी तथा उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी किन्तु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० जनहित में कोई परिवर्तन करने के लिये अधिकृत रहेंगे । समिति की बैठक हो गई है जो अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है ।
6. किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तों से सम्बन्धित । किराया क्रय पद्धति के भवनों के बारे में प्राधिकरण द्वारा दिनांक: 10.07.91 की बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसे दिनांक: 16.11.91 की बैठक में स्थगित कर दिया गया था, उसे स्थगित रखते हुए विषय सं०-5 में लिये जाने वाले निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी । पृष्ठ सं० 05 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

7.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट प्रस्ताव अनुसार इसकी एक प्रति निदेशक, स्थानीय वर्ष 1988-89 पर व्याख्यात्मक टिप्पणीय निष्पत्ति लेखा परीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी जाये। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जो कमियाँ इंगित की गई हैं उनपर मु०ले०अधि० एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विचार विमर्श किया जाये। और पकड़ गई कमियों का निराकरण कराकर प्राधिकरण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत कराये।

निर्णयानुसार मु०ले०अधि० एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा वर्ष 1988-89 की बैलेन्स शीट पर विचार-विमर्श किया गया। सी.ए. द्वारा वर्ष 1988-89 की बैलेन्स शीट पूर्ण होने का प्रमाण पत्र पुनः दिया गया है। प्राधिकरण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है संलग्नक प्र.सं. 20।

8.

दैनिक वेतन भोगी ड्राइवरों को को ग्रीष्म कालीन व शीतकालीन वर्दीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इस संबंध शासन के निर्देशों का पालन किया जाय।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

9.

कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग -3 के अन्तर्गत ग्राम-किला मोहम्मदी नगर स्थित "राजा बिजली पासी का किला" विषयक भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महाराजा बिजली पासी के किले की भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि शासनादेश दिनांक: 13.6.91 में दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

निर्णयानुसार आवश्यक कार्य-वाही की जा रही है।

10.

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० द्वारा प्रस्तावित लखनऊ महायोजना में 2001 में गोमती नगर योजना में भू-उपयोग में आंशिक परिवर्तन के संबंध में।

निर्णय लिया गया कि भूउपयोग में आंशिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में निम्नांकित सदस्यों की एक समिति बना दी जाय जो इनका परीक्षण करके अपने सुझाव प्रस्तुत करेकहि :-

1. उपाध्यक्ष, ल०वि०प्र०, 2. मु०न०ग्राम नियो०, उ.प्र.
3. मु०वा० एवं न०नि, ल०वि०प्र०
4. आयुक्त, आ. वि. प. के प्रतिनिधि।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4
11.	अभिनय रिपरटरी थियेटर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ को गोमती नगरयोजना के विराम खण्ड-5 में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अभिनय रिपरटरी थियेटर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा कोई साह्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे उन्हें भूमि दिये जाने कोई औचित्य बनता हो फिर भी उपाध्यक्ष, लखनऊ इस प्रकरण को स्वयं देख लें। यदि कोई औचित्य बनता हो तो प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जाय ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
12.	भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	इस विषय में विषय सं० 10 के अन्तर्गत गठित समिति परीक्षण करके आख्या प्रस्तुत करेगी ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की
§ अ §	प्राधिकरण के गो० न० यो० विशाल खण्ड में पार्क हेतु आवंटित 1400 वर्गमीटर भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
§ ब §	आई० सी० पी० कं० को पेट्रोलियम प्रोजेक्ट के बल्क स्टोरेज हेतु अमौसी रेलवे स्टेशन के समीप लगभग 19.5 एकड़ भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	विचार-विमर्श के पश्चात प्रस्ताव अनुमोदित किया गया क्यों कि निर्माण किया जा चुका है ।	नोट किया गया ।
13.	गोमती नगर योजना के विनियत खण्ड में प्रस्तावित 30मीटर चौड़ी सड़क के महा-योजना में एलाइनमेंट में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में समिति गठित कर दी गई है, अतएव इस विषय में निर्णय स्थगित किया जाता है ।	नोट किया गया ।
14.	श्रीमती नंजुल अग्रवाल पत्नी श्री नरेश अग्रवाल, विधायक, हरदोई को आवंटित सी०. रो. यो. के भूखण्ड के स्थान पर गो. न. यो. के नेहरू इन्क्लेव यो. में या विशेष खण्ड में भूखण्ड परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।		

1	2	3	4
15.	कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी, एफ, एवं जी में भूतल के आवंटियों को प्रथम तल पर भवन आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि उपपध्यक्ष मौके पर स्थिति का परीक्षण कर, कार्यवाही करें तथा प्राधिकरण को सूचित करें ।	कार्यवाही विचाराधीन है ।
16.	लखनऊ के विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को वाहन भत्ता के संबंध में ।	अन्य प्राधिकरणों से जानकारी कर ली जाय तत्पश्चात प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाये ।	आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
अनुपूरक वि० सं० ११११	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल एवं डा० जगदीश चन्द्र अग्रवाल को उनकी भूमि के बदले गोमती नगर योजना में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल एवं डा० जगदीश चन्द्र अग्रवाल को उनकी भूमि के बदले गो० न० यो० के द्वितीय चरण में लगभग 600 वर्ग फिट का आवासीय भूखण्ड इस शर्त पर दे दिया जाये कि वे मा० न्यायालय से अपना वाद वापस ले लें। उक्त व्यक्तियों से वर्ष 1985 में प्रचलित दर रु० 150/- प्रति वर्ग फिट की दर से विकास व्यय ले लिया जाये ।	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल एवं डा० जगदीश चन्द्र अग्रवाल को अर्जन वि० द्वारा पत्र भेज दिया गया है कि वे अपना वाद मा० न्यायालय से वापस लेकर सूचित करें ताकि भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जा सके ।
१२१	लखनऊ विनियमित क्षेत्र में लागू शमन शुल्क की दरों व निर्देशों को संशोधित किये जाने हेतु उपविधियाँ ।	निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, ल० वि० प्र० इस प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करके टिप्पणी आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे । इस बीच शमन संबंधी जो भी प्रकरण निस्तारित किये जाने हैं उनमें फ्रंट सेट बैक में शमन की अनुमति न दी जाये ।	परीक्षण किया जा रहा है ।
१३१	बजट की प्रत्याशा हेतु अनुमोदन ।	विचारोपरान्त गये आवश्यक भुगतानों का अनुमोदन किया गया ।	नोट किया गया ।

1	2	3	4
अनु0 विषय संख्या			
4.	जनसेवक कार्यालयलि0, पब्लिशर्स दि टाइम्स आफ इंडिया तथा नवभारत टाइम्स को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित ।	विचार-विमर्श के पश्चात प्रेस को भूमि देने के संबंध में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में निम्नांकित सदस्यों की समिति गठित की गई जो इस संबंध में नीति विषयक टिप्पणी प्रस्तुत करेगी : - 1. विशेष सचिव, वित्त, उ. प्र. शासन 2. संयुक्त सचिव, आवास, उ. प्र. शासन 3. महेश नगर एवं ग्राम नियोजक, उ. प्र. 4. आवास आयुक्त, उ. प्र. आ. एवं वि. प. के प्रतिनिधि ।	कार्यवाही की जा रही है ।
5.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी आवास समितियों को भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। चरन्तु इस सुविधा हेतु वही समितियाँ पात्र होंगी जिन्होंने अर्जन की विज्ञप्ति से पूर्व भूमि क्रय कर ली है ।	कार्यवाही की जा रही है ।
6.	गोमती नगर योजना में मे0इण्डियन डोटल ताज को आवंटित किये जाने से सम्बन्धित । 6	प्रस्ताव अबलोकन किया गया तथा प्रस्ताव के पैरा-12 के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये :- क्रमांक-1 पर अंकित गणना नजल के संबंध में है अतएव ताज होटल के सन्निहित सन्दर्भित भूमि पर लागू नहीं होगी । क्रमांक-2 में प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि पर जो गार्डन लीज दी जाती रही है उसके अनुसार यह गणनाकी गई वह अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है । इस 25 एकड़ भूमि पर पार्क विकसित किया तथा सर्वसाधारण के लिये पूर्ण स्वतंत्रता होगी प्रवेश सम्बन्धी शुल्क लखनऊ वि0 प्रा0 वसूल करेगा । लीज अवधि 30 वर्ष रखी जाये । मनासित बंधनराशि के लिये निर्णय शासन पर ही छोड़ दिया जाये ।	विषय पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है ।

1	2	3	4
अनुपूरक विषय			
सं० 7.	श्री एस० सी० शर्मा, तत्कालीन उप सचिव, ल०वि०प्रा० को आवंटित जीप सं०यू.जी.आई. 963 चोरी गई को ल०वि०प्रा० के स्टाक से "राईट आफ" किये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत निर्णय किया गया कि ल०वि०प्रा० के स्टाक से चोरी गयी जीप सं०यू.जी.आई. 963 के मूल्य द्रास के उपरान्त रू० 65,910/-को "राईट आफ" कर दिया जाय । साथ ही यह निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण के समस्त वाहनों का बीमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये ।	नोट किया गया ।
8.	दण्ड ब्याज माफ किये जाने के संबंध में ।	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि दिनांक: 1.1.1988 से दिनांक:15.11.1990तक की अवधि के दण्ड ब्याज की 50%धनराशि माफ कर दी जाये और दिनांक:15.11.90 के बाद की अवधि के पूर्ण दण्ड ब्याज की धनराशि प्राप्त की जाये ।	नोट किया गया ।
9.	श्री एस०के०नारंग को गो.न.घो. में आवंटित भूखण्ड सं०बी-2/181 विजय खण्ड की दर निर्धारण के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विधायक आवास समिति के अध्यक्ष से यह ज्ञात कर लिया जायकि श्री नारंग उक्त विधायक आवाससमिति के सदस्य थे । यदि ऐसा हो तो श्री नारंग को उन्हीं दरों पर भूमि दे दी जाये ।	नोट किया गया ।
10.	मे०मुगल मयूर होटल के भू-उपयोग के सम्बन्ध में ।	होटल हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का कुछ भाग महायोजना के आवासीय क्षेत्र में पड़ता है तथा कुछ भाग बाजार स्टीड में पड़ता है। आवासीयक्षेत्र में नान-स्टार होटल बनाने की अनुमति दी जाती है । अतएव भूउपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।	कार्यवाही की जा रही है ।
11.	लखनऊ विकास क्षेत्र की संशोधित महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र में त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में ।	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ०प० द्वारा संशोधित महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र में त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में	कार्यवाही की जा रही है । क्रमशः—18

1	2	3	4
अनुपूरक विज्ञाप सं० 12	श्री ए० के० कालरा व अन्य द्वारा प्रस्तुत 6, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र के संबंध में ।	प्रस्तुत प्रस्तावस्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि तदनुसार संशोधित करने की कार्यवाही की जाये । 6, पार्क हौड, हजरतगंज, लखनऊ पर श्री ए०के०कालरा एवं अन्य के ग्रुप हाउसिंग के मानचित्रों पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एवं उपाध्यक्ष द्वारा परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा लगाई गई तीन आपत्तियों का निराकरण करते हुए ग्रुप-हाउसिंग के मानचित्र स्वीकृत कर दिये जायें ।	कार्यवाही की जा रही है ।
परिचालित प्रस्ताव संख्या: 01	डायो आर्इ०एच०भटनागर को गो. न. यो. में नर्सिंग होम हेतु आवंटित भूखण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज के माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।	नोट किया गया ।
02.	श्रीमती मीना कुमारी को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड के संबंध में दण्ड ब्याज न लिये जाने के सम्बन्ध में ।	परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।	नोट किया गया ।
03.	वर्ष 1992-93 में हुडको से विभिन्न भूमि अर्जन व आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु निगेटिवलिघन के रूप में सिक्योरिटी देने के सम्बन्ध में ।	परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।	नोट किया गया ।
04.	आपरेशन फाइनेन्स के अन्तर्गत हुडको द्वारा रु०500.00लाख ऋण लेने की अनुमति ।	परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।	नोट किया गया ।

1	2	3	4
---	---	---	---

अनुपूरक विषय
संख्या: 038 अ

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्ष 1991-92 का वास्तविक एवं 1992-93 का प्रस्तावित मूल आय-व्ययक 2

वित्तीय वर्ष 1991-92 का वास्तविक एवं वर्ष 92-93 का प्रस्तावित मूल आय-व्ययक सर्व सम्मत से स्वीकार किया गया। तथा भवन मानचित्र शुल्क, पूंजीगत व्यय, अन्य व्यय/विश्व बैंक लेखे एवं गोमती नदी के प्रदूषण नियन्त्रण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।

दिये गये निर्देश नोट किये गये।

B-C. JAIN & CO.,
CHARGED ACCOUNTANTS

पृष्ठ संख्या: 20

Gram : COSTAUDIT
211380
Phones : Off. 211487
211843
Res. 211380

16/77-A, CIVIL LINES,
KANPUR-208 001

सेवा में,

मुख्य लेखाधिकारी,
लेखानु विभाग प्राधिकरण,
लेखानु।

विषय: 1988-89 के बैलेंसशीट के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 143/साओ0ओ0/दिनांक-
29.8.92 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में भरा पत्र दिनांक
7.12.91 का अवलोकन करें, जिनमें मैंने बैलेंसशीट के सम्बन्ध में पूर्ण
स्पष्ट प्रमाण-पत्र दिया था। ट्रेड प्रापर्टी तथा मॉग एवं संवय की मद
में कुछ कमियाँ थीं, जिनके सम्बन्ध में मैंने यह भी लिखा था कि
था कि वर्ष 1989-90 की बैलेंसशीट में इसका समावेश कर लिया
जायेगा।

उपरोक्त परिस्थिति में बैलेंसशीट 1988-89 पूर्ण है,
तथा नामित कमियाँ 1989-90 की बैलेंसशीट में निराकरण हेतु
विचार में रखी जा रही हैं।

Lucknow

Date: 31st Aug. '92



भावदीय,
[Signature]
चार्ज्ड अकाउन्टेण्ट्स,

विषय: स्लेज फार्म की भूमि के प्रतिफल हेतु हुडको से अर्पण लेने के सम्बन्ध में।

आख्या:-

वर्ष 1982-83 व 83-84 में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा स्लेज फार्म की कुल 706.30 एकड़ भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में अस्तान्तरित की गयी थी, जिसके प्रतिफल के रूप में अब तक नगर महापालिका लखनऊ को ₹0-519.16 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शासनादेश सं0-1687-ए/9-7-92-56 ज/91 दिनांक 2 मई, 1992 व शासनादेश सं0 2130-ए/9-7-92-56 ज/91 दिनांक 25 मई, 1992 प्रति संलग्न द्वारा नगर महापालिका, लखनऊको भूमि का प्रतिफल देने के साथ इस भूमि के पट्टेदारों को 15% भूमि का प्रतिफल देने हेतु आदेश जारी किया गया है, जिसके क्रम में नगर महापालिका, लखनऊ को ₹0-567.72 लाख का और भुगतान करना है। इसी प्रकार अपर जिलाधिकारी, प्रयाग, द्वारा किसानों को प्रतिफल बाँटने हेतु ₹0-3,48,92,630.58 रुपये की माँग की गयी है। इस प्रकार प्राधिकरण को अभी भी कुल ₹0-916.65 लाख का भुगतान करना है, जिस हेतु हुडको से अर्पण लेने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 6.2.92 को निम्नलिखित दो धोखारों प्रस्तुत की गयी थीं:-

1. स्लेज फार्म भाग-1, 543.01 एकड़ ₹0- 473.07 लाख
2. स्लेज फार्म भाग-2, 302.31 एकड़ ₹0- 263.37 लाख

हुडको को इस अर्पण की अदायगी स्लेज फार्म की भूमि पर वैभाव खण्ड के अन्तर्गत भूखण्डों के आवंटन के पश्चात् प्राप्त धारणा के की जायेगी।

प्रस्ताव:-

"प्राधिकरण से अनुरोध है कि हुडको से उपरोक्तानुसार स्लेज फार्म की भूमि हेतु अर्पण लेने की अनुमति प्रदान करने के साथ-साथ प्राधिकरण की तरफ से उपाध्याय/सचिव/मुख्य अभियंता को अनुबन्धा प्राप्ति सम्पादित करने व कामनसील लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय"

विषय: भूमि अर्जन के अन्तर्गत, आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत व आपरेशनल
 फाइनेन्स के अन्तर्गत हुडको या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने
 हेतु प्राधिकरण की ओर से उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण
 को प्रस्ताव पारित करने का अधिकार ।

आख्या:-
 =====

लखनऊ विकास प्राधिकरण ^{को} समय-समय पर अपनी विभिन्न भूमि अर्जन की योजनाओं के प्रतिकर हेतु, आवासीय योजनाओं के वित्त पोषण हेतु व विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आपरेशनल फाइनेन्स के अन्तर्गत हुडको या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना होता है, जिस हेतु प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

किसी वित्तीय वर्ष में एक ही साधा ऋण की योजनाएँ प्रस्तुत नहीं हो पाती हैं एवं जैसे-जैसे प्राधिकरण को आवश्यकता पड़ती है विभिन्न योजनाएँ ऋण हेतु प्रस्तुत की जाती हैं तथा अलग-अलग प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है। इसके साधा-साधा ~~xxxxxx~~ ऋण लेने के मामले में हुडको द्वारा निम्न लिखित शर्तें भी लगाई जाती हैं, जिनका अनुमोदन भी प्राधिकरण से प्राप्त करना होता है।

- 1- कुल भूमि का 15 प्रतिशत क्षेत्रफल ई0डब्लू0एस्0 व एल0आई0जी0 भवनों हेतु प्राधिकरण आरक्षित रखेगा।
- 2- कुल भूमि का एक तिहाई क्षेत्रफल प्राधिकरण सहकारी आवास समितियों हेतु आरक्षित रखेगा एवं उनके द्वारा आवेदन करने पर भूमि उन्हें प्राधिकरण आवन्तित करेगा।
- 3- ऋण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ऋण की प्रथम किश्त अवमुक्त होने के दो वर्षों के अन्दर प्राधिकरण आवासीय योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु हुडको में आवेदन प्रस्तुत कर देगा अन्यथा प्राधिकरण 2.50 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज का भुगतान करेगा।

कभी-कभी प्राधिकरण की बैठक में अधिक अन्तराल होने के कारण ऐसी योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त होने में बिलम्ब होता है तथा हुडको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं में योजनाएँ स्वीकृत करने में बिलम्ब होता है। ऐसी परिस्थिति में उचित होगा कि प्राधिकरण की तरफ से इस प्रकार की योजनाओं में ऋण लेने व हुडको की उपरोक्त शर्तों को मानने से सम्बंधित

14/11

2 35



प्रस्ताव पारित करने का अधिकार उपाध्यक्ष लखानऊ विकास प्राधिकरण को दे दिया जाय।

प्रस्ताव:-

=====

“ विकास प्राधिकरण लखानऊ को विभिन्न भूमि अर्जन के अन्तर्गत प्रतिकर हेतु, आवासीय योजनाओं के वित्त पोषण हेतु व विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आपरेमनल फाइनेन्सा के अन्तर्गत हुडको या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए तथा हुडको को उपरोक्त शर्तों को मानने से सम्बंधित प्रस्ताव पारित करने हेतु उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, लखानऊ को अधिकृत करने का कट करें। ”

Subme
1-9-92

प्राधिकरण की आयुषी हुडको में रबी जमीन का प्राधिकरण

विषय: गोरखा नगर विकास के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु भावनों का किराया पोषणा हुडको से किराये के सम्बन्ध में।

आध्या: -

गोरखा नगर विकास के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा स्थानीय विकास के कर्मचारियों को किराया कृष पद्धति पर भावना उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 10 अगस्त, 1991 से पंजीकरण खोला गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के भावनों हेतु कुल 2347 पंजीकरण प्राप्त हुए थे।

भावनों का आवन्तन किराया कृष पद्धति पर किया जाना प्रस्तावित अतः इनके वित्त पोषणा हेतु विभिन्न ग्यारह भागों में कुल 1979.81 लाख की ऋण योजना हुडको में दिनांक 21.5.92 को प्रस्तुत की गयी थी, जिस हेतु प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता है। हुडको को ऋण की अदायगी इन भावनों के आवन्तन के पश्चात् प्राप्त होने वाली किरायों से किया जायेगा।

प्रस्ताव:-

"प्राधिकरण से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार हुडको से ऋण लेने की प्राधिकरण की तरफ से उपाध्यक्ष/सचिव/मुख्य अभियंता को अनुबन्ध आदि सम्पादित करने तथा कामनसील लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।"

Sobme
20/11/92

2

3

विषय:- श्री एन०के० नारंग को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत आवंटित
भूखण्ड संख्या: 2/181, विजय खण्ड की दर निर्धारण के संबंध में ।

सारांश:-

श्री एन०के० नारंग को आवंटित भूखण्ड संख्या: 2/181, विजय खण्ड, गोमती नगर की पुरानी दर रु०-145/= प्रति वर्ग मीटर की दर से लेने हेतु विषय विषयार्थ प्राधिकरण की गत बैठक में प्रस्तुत किया गया था । गत उक्त बैठक दिनांक : 16.11.91 में प्राधिकरण द्वारा अपने विषय संख्या: 10 का पृष्ठभूमि में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री नारंग को भूखण्ड वर्तमान दर पर दिया जाये । प्राधिकरण के निर्णय के अनुपालन में इनको इस कार्यालय के पत्र संख्या: 34/ए०एस० दि०-8.4.92 द्वारा रु०-2,16,000/= दिनांक: 30.4.92 तक जमा करने हेतु सूचित किया गया । इस पर विधान परिषद, सचिव एवं सभापति जी ने अपेक्षा की कि विधायक आवास समिति के भूखण्डों के आवंटन में विधायकों के लिये पुरानी दर एवं पंजीकरण धनराशि पर ब्याज जोड़ते हुए भूखण्ड उपलब्ध कराये गये हैं, उसी प्रकार श्री नारंग को भूखण्ड उपलब्ध करा दिया जाये ।

श्री एन०के० नारंग को आवंटित भूखण्ड संख्या: 2/181, विजय खण्ड के दर निर्धारण के संबंध में गत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विधायक आवास समिति के अध्यक्ष से यह ज्ञात कर लिया जाये कि श्री नारंग उक्त विधायक आवास समिति के सदस्य थे । यदि ऐसा ही तो श्री नारंग को उन्हीं दरों पर भूखण्ड दे दा जाये ।

इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री नारंग ने व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया कि उनको भूखण्ड आवंटन हेतु निर्देश 109/वि०एस० दिनांक: 29.6.90 द्वारा जारी किये गये थे जिसमें यह स्पष्ट उल्लिखित है कि विधायक आवास समिति द्वारा निम्नलिखित मंत्रियों/अधिकारियों को प्राधिकरण द्वारा पुरानी दर पर भूखण्ड आवंटित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे:-

1. माननीय श्री रेवती रमण सिंह,


क्रम संख्या: 2


2. माननीय श्री शतरुद्र प्रसाद,
3. माननीय श्री विक्रमादित्य पाण्डेय,
4. माननीय श्री मुख्तार अनीस,
5. माननीय श्री इयाम किशोर कपूर, सचिव विधान परिषद ।
6. माननीय श्री एन० के० नारंग, विशेष सचिव एवं अपर विधि - परामर्शी, संसदीय कार्य तथा विधायी विभाग, उ०ग०शासन ।


उपरोक्त पत्र में क्रमांक: 6 पर श्री एन०के०नारंग का नाम अंकित है ।
इस सूची में उल्लिखित सभा अन्य की, जिसमें एक अधिकारी श्री कपूर भी
हैं, को प्राधिकरण द्वारा विधायक क्षामति के निर्देशानुसार पुराना दर
पर भूखण्ड प्रदान किये गये ।

अतः यह न्याय संगत होगा कि श्री नारंग से भी अन्य की
क्षामति पुरानी दर पर ही आवंटित भूखण्ड का मूल्य लिया जाये ।

प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।


उप सचिव,


सचिव,


उपाध्यक्ष,

प्रस्ताव विद्युत-प्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए वाउचरिंग हेतु भूखण्डों का नि:शुल्क

सर्वोच्च विद्युत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत काफी व्यवसायिक भूमि रिक्त उपलब्ध है। पिछले लगभग 2 वर्षों में व्यवसायिक भूखण्डों को नीलामी में गिरावट आ रही है। परिणामस्वरूप व्यवसायिक भूमि का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। नतीजन इन रिक्त व्यवसायिक भूखण्डों पर अनाधिकृत कब्जे की समस्या बढ़ती जा रही है साथ ही सार्वजनिक निस्तारण न होने से देश की समस्या उत्पन्न हो रही है।

परिस्थिति में यह उचित प्रतीत होता है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध व्यवसायिक भूखण्डों में से कुछ को प्रोत्साहित हेतु नीलामी द्वारा बेचा जाय, परन्तु न्यूनतम आरक्षित भूखण्डों रहेगा जो व्यवसायिक प्रयोजन हेतु निर्धारित विद्युत क्षेत्रों में निर्धारित स्थायी योजना 2001 के अन्तर्गत विकसित/आवृत्त क्षेत्रों में निर्धारित प्रयोजनों के अन्तर्गत व्यवसायिक क्षेत्रों में आवस्यिक है। इनके जर्न को अनुमति का प्रावधान किया गया है। अतः प्रश्नगत प्रस्ताव पर भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ-साथ यह भी प्रस्ताव है कि आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्डों पर भी प्रोत्साहित हेतु को बढ़ावा देने के विचार से कुछ आवासीय भूखण्डों को भी नीलामी द्वारा बेचा जाय।

अतः बोर्ड के समस्त विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रिक्त व्यवसायिक भूखण्डों एवं आवासीय भूखण्डों को नीलामी द्वारा प्रोत्साहित हेतु बेचा जाने का प्रस्ताव विचारार्थ, अवलोकनार्थ एवं स्विकृता प्रस्तुत है।

(Signature)
11/8/92

(Signature)
17-8
सहायक निदेशक प्राधिकरण

विषय: गोमती नगर योजना में मे० इंडियन होटल प्रा. लि० को आवंटित भूमि के संलग्न ग्रीन बेल्ट की भूमि के आवंटन किये जाने से संबंधित।

आया: प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना में होटल के निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि में मे० इंडियन होटल कं० लि० (ताज गुल्फ) को आवंटित की गयी थी। उसके संलग्न ग्रीन बेल्ट की 25 एकड़ भूमि लाइसेंस के आधार पर दिले जाने का निर्णय लिया गया था।

2. शासन के पत्र दिनांक 27.02.92 जिसकी प्रति संलग्न है संलग्न-1 के तारतम्य में दि० प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.06.92 में अनुपूरक विषय सं०-6 के अन्तर्गत रखा गया था। उपरोक्त बैठक में रखा गया विषय तथा लिया गया निर्णय संलग्न है संलग्न-2।

3. उपरोक्त बैठक में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था:

1. यदि क्रम सं०-11 में अंकित नजूल भूमि की भांति 25 एकड़ भूमि, जो गार्डन लीज पर दी जानी है, के पट्टे का किराया निकाला जाता है तो इस समय जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित दर स्पष्ट-90/- प्रति वर्ग फुट गोमती नगर में है। अतः उपरोक्त फार्मूले के आधार पर पट्टे का किराया प्रति वर्ष स्पष्ट-8,16,750/- आता है। इस संबंध में यह भी उल्लेख करना है कि 25 एकड़ ग्रीन बेल्ट की भूमि गार्डन लीज के रूप में, प्रथम चरण में नजूल भूमि की भांति सात वर्ष के लाइसेंस पर यदि दी जाती है तो यह प्रतिबन्ध रहे कि सात वर्ष के पश्चात पट्टे के किराये का निर्धारण पुनः किया जाय। इसी प्रकार सात वर्ष के अन्तराल पर लाइसेंस का नवीनीकरण होता रहे और लाइसेंस की पूरी अवधि 90 वर्ष रखी जाय।
2. प्राधिकरण द्वारा गार्डन लीज पर नूनिवातियों को अलीगंज योजना में भूमि दी गयी है, यद्यपि इसमें भूमि की मात्रा बहुत थोड़ी सी है, परन्तु इसमें पट्टे का किराया आवंटन के समय प्रचलित आवासीय दर के अनुसार देय प्रीमियम पर 1/2% वार्षिक की दर से लिया गया है। इस फार्मूले से धराराशि स्पष्ट-4,90,100/- आती है।
3. प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 07.07.88 में टोडेन लाइसेंस की स्पष्ट -10,001/- प्रति वर्ष दिले जाने का निर्णय लिया था।
4. उपरोक्त प्रस्तावों पर प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

क्रमांक-1 पर अंकित गणना नजूल के संबंध में है अतएव ताज होटल के सन्निकट संदर्भित भूमि पर यह गणना लागू नहीं होगी। क्रमांक-2 में प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि पर जो गार्डन लीज दी जाती रही है, उसके अनुसार यह गणना की गयी है वह अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है किन्तु यह ध्यान रखा जाय कि ताज होटल द्वारा इस 25 एकड़

भूमि पर पार्क विकसित किया जायेगा तथा इस पार्क का प्रयोग करने की जन साधारण को पूर्ण स्वतंत्रता होगी एवं इस पार्क में प्रवेश संबंधी शुल्क लखनऊ विकास प्राधिकरण के खाते में जमा होगा और प्रदेश शुल्क वसूल करने की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए क्रमांक-2 में अंकित धनराशि को और कम कर दिया जाय। फिर भी मुनातिब धनराशि कितनी हो, यह निर्णय शासन पर ही छोड़ दिया जाय। लीज की समयावधि के बारे में विचार विमर्श कर लिया जाय कि लीज अवधि तीस वर्ष रखी जाय।

5. प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के पश्चात् यह विषय शासन को इस कार्यालय के पत्र संख्या 714/पी.ए/सी.ए/92 दिनांक 07.07.92 द्वारा भेजा गया जिसके क्रम में शासन ने पत्र सं०-4291/9-आ-5-92-31डी.ए/89 दिनांक 20.07.92 प्रतिलिपि संलग्नक 3 द्वारा सूचित किया है कि शासन के पत्र दिनांक 27.02.92 में आदेश स्पष्ट थे कि अंतिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा ही लिया जाना चाहिए। शासन ने उपरोक्त पत्र द्वारा पुनः निर्देश दिया है कि शासन के पत्र दिनांक 27.02.92 के अंतर्गत निर्णय प्राधिकरण अपने स्तर पर ले ले।

इस प्रकरण पर मुख्य विधि परामर्शी की राय प्राप्त की गयी जो निम्न प्रकार है:-

शासन के पत्र दिनांक 27.02.92 व 20.07.92 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि शार्टटर्म लीज पर लीज ली जानी है। लीज धनराशि एवं समयावधि के लिये पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि विभिन्न समयों पर बोर्ड की मीटिंग में विभिन्न निर्णय लिये गये जो कभी-कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। प्रकरण-1986 से चल रहा है। समय समय पर निर्णयों से ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन सार्वजनिक मनोरंजन के लिये ली जानी है, जिस पर पार्क बनाया जायेगा। मे० इंडियन होटल/एडमिशन टिकट लगायेगा, लेकिन एडमिशन पर प्राधिकरण को मिलेगी। लीज की अवधि 90 वर्ष तय की गयी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि लाइसेंस पर भूमि ली जाय जिसकी अवधि 30 वर्ष रखी जाय लेकिन तीस वर्ष बाद लाइसेंस अगले 30 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा। भूमि की मात्रा 25 एकड़ है।

विभिन्न समयों पर विभिन्न कार्यावाही से यह तो साफ है कि लीज की अवधि कभी भी 30 वर्ष से कम नहीं रखी गयी। लेकिन मंशा 90 वर्ष की रही।

लाइसेंस एवं लीज में बहुत ही सूक्ष्म अन्तर कानून की निगाह में है, जिसमें पक्षकार की इन्टेन्शन पर खास ध्यान दिया जाता रहा है, एवं शर्तों का विश्लेषण किया जाता रहा है।

इस प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरी राय में यह लाइसेंस न्यायालय द्वारा मान्य नहीं होगा। वरन् न्यायालय इसे लीज ही मानेगी क्योंकि भूमि का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। 25 एकड़ समयवधि भी बड़ी है। कम से कम 30 वर्ष किराये की धनराशि भी ली जानी है जो शासन ने कहा है कि मुनातिब होनी चाहिए। उचित होगा कि जमीन 30 वर्ष के लिये लीज पर ही ली जाये और अधिक किराया लिया जाय लेकिन जिससे प्राधिकरण को आर्थिक लाभ हो क्योंकि

ka


लिखा कुछ भी जा लेकिन जमीन वापस प्राधिकरण को नहीं लौटनी है। न्यायालय में जाने पर न्यायालय आर्जेजी के हितों की रक्षा के लिये ~~प्राधिकरण~~ रहेगा। इस्तेमाल प्राधिकरण उन उदाहरणों से भी बच जायेगा जहां टोकन किराये पर कम जमीन कम अवधि के लिये लाइसेंस पर दी गयी है।


जहां तक प्राधिकरण का विचार उक्त जमीन लाइसेंस पर टोकन किराये पर कम अवधि के लिये देने का है, तो लाइसेंस की अवधि किसी भी हालात में 10 वर्ष से अधिक न हो। अवधि 10 वर्ष से भी कम रहे तो अच्छा रहेगा। इस अवधि के लिये प्राधिकरण ऐसा किराया तय करें जो लाभ कमाने के उद्देश्य से न हो। अनुबन्ध पंजीकृत हो। अनुबन्ध में अन्य शर्तों के अलावा यह शर्त भी रहे कि लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर लाइसेंस स्वतः समाप्त हो जायेगा और कब्जा प्राधिकरण में निहित हो जायेगा। पक्ष उसी दिन वास्तविक कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को बिना कोई रतलज या विवाद उठाये दे देगा। लाइसेंस समाप्त के लिये पृथक से कोई लिखित सूचना या नोटिस पक्ष को नहीं दिया जायेगा। लाइसेंस नियत 10 वर्ष की अवधि से पूर्व भी किसी भी समय बिना कारण बताये 24 घण्टे के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है।

मुख्य विधि परामर्श के साथ से दो नार्ति/विकल्प उभरते हैं:-

1. जैसा कि अभी तक प्राधिकरण के निर्णय हैं कि 90 या 30 वर्षों के लिये लाइसेंस पर दी जाय, न्यायालयों द्वारा इसे लीज ही माना जायेगा। चाहे अनुबन्ध अथवा शर्तें कुछ भी रखी जायें। इस परिपेक्ष्य में उचित होगा कि लीज की भांति अधिकतम धनराशि लीजास।
2. टोकन धनराशि के साथ लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष से कम रखी जाय और साथ ही किराया इस प्रकार तय किया जाय जो लाभ कमाने के उद्देश्य से न हो।

प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करें।


2/9/92
CAEP


2/9/92

2
50

विषय: गोमती नगर योजना में मे० इंडियन होटल प्रा० लि० को आवंटित भूमि से तंलग्न ग्रीन बेल्ट की भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित,

आख्या: गोमती नगर योजना में मे० रशियन होटल लि० को 10 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। यह पत्र प्राधिकरण की बैठक दि० 26.7.86 में प्रस्तुत किया गया था। विचार विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राईवेट बिल्डर्स के सम्बन्ध में गठित ^{उप} समिति द्वारा ही शर्तें तय कर ली जायें। तदनुसार प्राधिकरण द्वारा गठित उप समिति की बैठक दि० 4.8.86 को हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अन्य होटल स्वामियों से भी आर्बर्स समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त किये जायें।

2. उपरोक्त निर्णय के अनुसार समाचार पत्रों के सूचना प्रकाशित कराई गई। इस सूचना की प्रति तंलग्न है अंगुलनक "क"।

3. निम्न लिखित होटल स्वामियों से आर्बर्स प्राप्त हुए :

- 1/1/86 मे० रशियन होटल लि०, नई दिल्ली,
- 1/1/86 मे० इंडियन होटल लि०, नई दिल्ली,
- 1/1/86 मे० यू०पी० होटल लि०, लखनऊ
- 1/1/86 मे० आरिफ इण्डस्ट्रीज लि०, लखनऊ
- 1/1/86 मे० मद्रना होटल प्रा० लि०, नई दिल्ली,
- 1/1/86 मे० निधि होटल प्रा० लि०, देहरादून,
- 1/1/86 मे० तर्करी मेद्दुत होटल प्रा० लि०, कानपुर,
- 1/1/1/86 मे० सूर्या होटल, नई दिल्ली

उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक दि० 6.9.86 में प्रस्तुत किया गया था, जिसपर प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना में निम्नांकित दो ही होटल को भूमि देना उपयुक्त था या गया :

- 1: मे० रशियन होटल लि०, नई दिल्ली,
- 1/1: दि इंडियन होटल प्रा० लि०, नई दिल्ली,

चूंकि मे० रशियन होटल द्वारा अधिक भूमि ^{मॉग की} की/गई, अतएव उन्हें गोमती नगर योजना में भूमि प्रस्तावित शर्तों पर देने हेतु निर्णय लिया गया। मे० रशियन होटल द्वारा 10 एकड़ भूमि की मॉग की गई थी, जबकि मे० इंडियन होटल ने 3 एकड़ भूमि की मॉग की थी। उपरोक्त निर्णय के तारतम्य में मे० रशियन होटल नई दिल्ली, को भूमि

के आवंटन का प्रस्ताव भेज दिया गया ।

3. मे0इंडियन होटल्स कं0 लि0 8ताज ग्रुप ने अपने पत्र दि020.9.86 द्वारा जुरोप किया कि उन्हें गोमती नगर योजना में पूर्ण में मोगी गई 3 एकड़ भूमि के स्थान पर 5 एकड़ भूमि आवंटित कर दी जायें । साथ ही 25 एकड़ भूमि मनोरंजन हेतु विकसित करने हेतु आवंटित कर दी जायें । उनका यह प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण की बैठक दि011.12.86 में विषय सं0 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था । उपरोक्त बैठक में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पौच सितारा होटल हेतु 5 एकड़ भूमि गोमती नगर योजना के अन्तर्गत उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करा दी जाय । इसके अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि की जो मोग की गई है, मनोरंजन के अभिप्राय में इस विषय में भूमि सण्ड कन्डीशन्स बनाकर पहले विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करा ली जायें ।

4. प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के अनुसार टर्म्स सण्ड कन्डीशन बनाकर प्राधिकरण की बैठक दि07.7.88 में विषय सं026 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई । प्राधिकरण द्वारा कुछ शर्तों में संशोधन किया गया । प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक दि07.7.89 में जो शर्तें अनुमोदित की गई थी उनमें उपरोक्त 25 एकड़ भूमि 60 वर्षों के लाइसेन्स पर देने हेतु निर्णय लिया गया था । इस पर मे0 इण्डियन होटल्स कं0 लि0, नई दिल्ली ने आपत्ति प्रकट की । उनका कहना था कि जो 5 एकड़ भूमि होटल के निर्माण हेतु दी गई है, उसमें प्राधिकरण की नीति के अनुसार उपरोक्त भूमि 90 वर्ष की लीज पर दी गई है । तदनुसार उपरोक्त 25 एकड़ भूमि भी 90 वर्ष के लाइसेन्स पर ही दी जायें । अतः विषय प्राधिकरण अरुही बैठक दि027.10.88 में विषय सं0.14 के अन्तर्गत रखा गया । इस पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि मे0 इण्डियन होटल्स के प्रतिनिधि को आगामी बैठक में उपस्थित होने के लिये लिखा जायें तथा विषय आगामी बैठक हेतु स्थगित कर दिया गया ।

5. उपरोक्त निर्णय के अनुसार विषय प्राधिकरण की बैठक दि011.2.89 में विषय सं0 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया । उपरोक्त बैठक में उपरोक्त होटल के प्रतिनिधि को नि माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा सुना गया । उपरोक्त बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख है कि उपरोक्त होटल के प्रतिनिधि

दि.

क्रमांक:.....3

ने बताया कि प्रश्नगत 25 एकड़ भूमि को वे मनोरंजन के अभिप्राय से पार्क के रूप में विकसित करेंगे, उन्होंने यह भी स्पष्ट आश्वासन दिया कि यह मनोरंजन पार्क आम जनता के लिये खुला रहेगा और इसका प्रवेश तथा विकास द्वार+ होटल के प्रवेश द्वार से अलग बनाया जाएगा। यह उक्त मनोरंजन स्थल को होटल ओपेन होने से पूर्व विकसित कर देंगे। 36.02/19

6. इस विषय पर उपायुक्त की तत्कालीन सचिव आवास से वार्ता हुई और उसी वार्ता के क्रम में यह विषय इस कार्यालय के पत्र सं० 65/सी० ए०/पी० ए०/90 दि० 22.1.90 द्वारा शासन को संदर्भित कर दिया गया।

7. इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि दि० 17.4.90 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एकमीन वि० से जो पनराशि प्राप्त होगा, वह ल० वि० प्रा० के खाते में जायेगी। इसके अतिरिक्त इस होटल द्वारा 1000 राशि/वर्ष प्रति बर्षी पर्यटन सचिव के निस्तारण पर रजी. जायेगी।

8. शासन से इस सम्बन्ध में जनवरी 90 से पत्र व्यवहार होना रहा। अन्ततोगत्वा शासन ने पत्र सं० 9125/9आ-5-91-31डीए/89 दि० 21.1.92 द्वारा सूचित किया है कि संगीत नाटक अकादमी को प्रति संलग्न, द्वारा सूचित किया है कि संगीत नाटक अकादमी को गौमती नगर योजना में ग्रीन बेल्ट हेतु जो भूमि आवंटित की गई है, उसी प्रकार ताज ग्रुप के मामले को भी प्राधिकरण द्वारा सन्धि रखकर भूमि को लॉज पर देने के प्रकरण पर गुण अवगुण के आधार पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाये। ताज ग्रुप को भूमि दिये जाने हेतु शर्तें आदि प्राधिकरण अपने विवेकाजुसार तय कर लें।

9. शासन का उपरोक्त पत्र प्राप्त होने के पश्चात् पुनः शासन ने पत्र सं० 1367/9-आ-5-31डी० ए०/89 दि० 27.2.92 द्वारा सूचित किया कि शासन द्वारा गार्डरूम लिज पर ताज ग्रुप आफ होटलर्स को भूमि दिये जाने का निर्णय प्राधिकरण पर अवश्य हो देया गया है परन्तु यह भूमि निःशुल्क तो किसी भी दशा में नहीं दी जानी है और इसके शुल्क के रूप में मुनासिब पनराशि ली जानी चाहिये, और क्या शर्तें हों, इसके बारे में प्राधिकरण द्वारा के ततर पर निर्णय ले लें।

(11)


10. प्राधिकरण की पूर्व बैठकों में तथा मुख्य तथ्य, 3090 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के तारतम्य में संशोधन का प्रारूप बना दिया गया है जो संलग्न है। इसमें शासनादेश दि०27.2.92 के तारतम्य में संशोधन वांछित है।

1. नजूल मैनुवल में नजूल की भूमि गार्डन लीज पर दिये जाने का प्राविधान है। नजूल मैनुवल के अनुसार यदि कोई नजूल की भूमि भवन के निर्माण हेतु दी जाती है तो प्रचलित बाजार दर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से भूमि का प्रीमियम निकाला जाता है और कुल देय प्रीमियम का 2/3 प्रीमियम के रूप में तथा 1/3 पट्टे के किराये के रूप में लिया जाता है। पट्टे का किराया निकालने का फार्मूला यह है कि उपरोक्तानुसार प्रीमियम का 1/3 का 1/20 प्रति वर्ष पट्टे का किराया लिया जाता है। नजूल मैनुवल में ही बागदानी के प्रयोजनार्थ आवंटित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में यह प्राविधान है कि यह भूमि अधिकतम सात वर्षों के पट्टे पर दी जायेगी तथा पट्टे का किराया उपरोक्त फार्मूले के आधार पर निकाले गये पट्टे के किराये का आधा लिया जायेगा तथा कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।

12. शासन ने पत्र दि०27.2.92 जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, में यह निर्देशा दिया है कि उपरोक्त भूमि निःशुल्क कितनी भी दशा में नहीं दी जानी है + और इसके लिए शुल्क के रूप में सुनातिब धराराशि ली जानी चाहिए। अतः इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं। प्राधिकरण कृपया कितनी एक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने का कृपया करे :-

यदि क्रम नं०-11 में अंकित नजूल भूमि की भांति 25 एकड़ भूमि जो गार्डन लीज पर दी जानी है, के पट्टे का किराया निकाला जाता है तो इस समय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर 8090/- प्रति वर्ष पुणे गोमती नगर में है। अतः उपरोक्त फार्मूले के आधार पर पट्टे का किराया प्रतिवर्ष रु०8,16,750/- आता है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि 25 एकड़ ग्रीन बेल्ट की भूमि गार्डन लीज के रूप में प्रथम चरण में नजूल भूमि की भांति सात वर्षों के लाइसेन्स पर यदि दी जाती है तो यह प्रतिबंध रहे कि सात वर्षों के पश्चात् पट्टे के किराये का निर्धारण पुनः किया जाय। इसी प्रकार सात-सात वर्षों के अन्तराल पर लाइसेन्स का नवीनीकरण होता रहे और लाइसेन्स की पूरी अवधि 90 वर्षों रखी जाय।



प्राधिकरण द्वारा गार्डन लीज पर कुछ निवासियों को अलीगंज योजना में भूमि दी गयी है यद्यपि इसमें भूमि की मात्रा बहुत थोड़ी होती है परन्तु इसमें पदों का किराया आतंन के समय प्रचलित आवासीय दर के अनुसार देय प्रीमियम पर 1/2% वार्षिक की दर से लिया गया है। इस मामले से धनराशि ₹04,90,100/- आती है।

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दि० 07.7.88 में टोकन लीज की ₹010,001/- प्रति वर्ग लिये जाने का निर्णय लिया था।

निर्णय :

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव के पैरा-12 के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये:-

क्रमांक-1 पर अंकित गणना नदुले के सम्बन्ध में है अतएव तान होटल के सन्निकट सन्निहित भूमि पर यह गणना लागू नहीं होगी। क्रमांक-2 में प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि पर जो गार्डन लीज की जाती रही है उसके अनुसार यह गणना की गई है यह अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है किन्तु यह ध्यान रखा जाय कि तान होटल द्वारा इस 25 एकड़ भूमि पर पार्क विकसित किया जायेगा तथा इस पार्क को प्रयोग करने की जन साधारण को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी एवं इस पार्क में प्रवेश मुक्त तदनन्त विकास प्राधिकरण के साते में जमा होगा और प्रवेश मुक्त वसूल करने की जिम्मेदारी तदनन्त विकास प्राधिकरण की होगी। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए क्रमांक-2 में अंकित धनराशि को और कम कर दिया जाय। फिर भी मुनासिब धनराशि कितनी हो, यह निर्णय शासन पर ही छोड़ दिया जाय। लीज की समयावधि के बारे में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि लीज अवधि तीस वर्ष रखी जाय।

प्रति प्रमाणित

[Handwritten Signature]
 डिप्टी कमिश्नर

महत्वपूर्ण/गोपनीय

अ0शा0पत्र सं0 4291/437-5-92-31 डीए/89

का. 241110
दूरभाष : नि. 241155

आवास विभाग
उ0 प्र0 शासन

दिनांक 20-7-92

28/8
5-8-92



श्रीवीन्द्र शंकर माथुर
प्रमुख सचिव

142/अ/व
4.8.92

प्रिय श्री...

गोमती नगर योजना में मे0डिडयन होट्स कं0लि (ताजग्रुप) नई दिल्ली को मनोरंजन पार्क हेतु 25 एकड़ भूमि एवं तन विषयक शासन के पत्रांक-1367/92-5-31 डी0ए0/89 दिनांक 27-2-1992 का कृपया संदर्भ ले, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि शासन द्वारा शार्ट टर्म लीज पर ताज ग्रुप आफ होट्स को भूमि दिये जाने का निर्णय प्रधिकरण पर अवश्य छोड़ दिया गया है, परन्तु यह भूमि निःशुल्क तो किसी भी दशा में नहीं दी जानी है और इसके लिए शुल्क के रूप में मुन्शीसव धनराशि एवं शर्तें क्या हों, इसके लिए प्रधिकरण को बोर्ड स्तर पर निर्णय लेना था। परन्तु सेद का विषय है कि प्रधिकरण के बोर्ड ने शासन के आदेशों के अनुष्प कार्यवाही करने के बजाय पुनः प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया है। इस संबंध में शासन के आदेश स्पष्ट थे और अंतिम निर्णय प्रधिकरण द्वारा ही लिया जाना था। अनुरोध है कि कृपया शासन के आदेशों के अनुष्पन में जो भी निर्णय लेना है, प्रधिकरण अपने स्तर पर लेकर, लिये गये निर्णय से शासन को अवगत कराएं।

भवदीय,

श्रीवीन्द्र शंकर माथुर

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
उपध्यक्ष,
लसनऊ विकास प्रधिकरण
लसनऊ।

PA
with file, dic

195/9/1000
1.8
श्रीवीन्द्र शंकर माथुर
प्रमुख सचिव
21/7/92
श्री अतुल कुमार गुप्ता
उपध्यक्ष
लसनऊ विकास प्रधिकरण
लसनऊ।
श्री अतुल कुमार गुप्ता
उपध्यक्ष
लसनऊ विकास प्रधिकरण
लसनऊ।

विषय:- नेशनल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री पर्यावरण विभाग को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विनोत खण्ड में भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।


प्रस्ताव-

नेशनल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री भारत सरकार नई दिल्ली को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत मेहरू इन्क्लेव में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 6.71 एकड़ भूमि आवंटित की गयी थी तथा प्रश्नगत स्थल का कब्जा प्रशासनिक अधिकारी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पर्यावरण विभाग, भारत सरकार को दिनांक: 22-2-85 को दिया जा चुका है। कब्जा प्रमाण-पत्र को छाया प्रति संलग्न की जा रही है। 1985 के उपरान्त प्रश्नगत भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ तथा आवंटित की गयी भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भवनों का निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रश्नगत स्थल नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को भूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि गोमती नगर योजना के अन्तर्गत किसी अन्य योजना में भूमि उपलब्ध करा दी जाय।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में विनोत खण्ड के अन्तर्गत लगभग 15 एकड़ भूमि अस्पताल हेतु आरक्षित है किन्तु अस्पताल हेतु भूमि विनोत खण्ड में लगभग 20 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गयी है। अतः विनोत खण्ड में अस्पताल बनाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में नियोजन की दृष्टिसे प्राधिकरण का यह मत है कि विनोत खण्ड में 15 एकड़ भूमि जो पूर्व में अस्पताल के लिए आरक्षित थी उनमें से 6.71 एकड़ भूमि उपरोक्त पर्यावरण विभाग को आवंटित कर दी जाय। प्रस्तावित स्थल को भूमि को संलग्न विन्यास मानचित्र में दर्शा दिया गया है। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रस्तावित 6.71 एकड़ भूमि में से केवल 2 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य करेगा तथा उसे 4.71 एकड़ भूमि का उपयोग उनके द्वारा ग्रीन बैल्ट के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। 15 एकड़ की शेष भूमि को आवासीय गृह हाउसिंग उपयोग में लाया जायेगा। अतः प्रस्ताव उक्त के परिपेक्ष्य में बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ

एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।


2.09.92
CATP



- 22 -
उपाध्यक्ष

विषय:- नीबू पार्क नाले के समीप महायोजना के अन्तर्गत पार्क एवं क्रीड़ा स्थल हेतु आरक्षित भूमि के भू-उपयोग को व्यवसायिक में परिवर्तन करने के संबंध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चौक क्षेत्र में विकसित नीबू पार्क के दक्षिण की ओर स्थित नाले एवं महायोजना में प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ी तड़क के बीच लगभग 1.38 एकड़ भूमि जिसकी स्थिति संलग्न अभिन्यासचित्र के अन्तर्गत लाल रंग में दर्शाया गया है, का भू-उपयोग महायोजना 2001 के अन्तर्गत पार्क एवं क्रीड़ा स्थल हेतु आरक्षित है तथा इस भूमि का आकार ऐसा है कि इसपर किसी भी प्रकार से सुनियोजित पार्क का विकास किया जाना सम्भव नहीं है। स्थल पर काफी मात्रा में अनाधिकृत निर्माण हो चुका है तथा यह प्रवृत्ति जारी भी है। चौक क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण एवं विकास को मद्देनजर रखते हुए विकास प्राधिकरण का यह मत है कि प्रश्नगत स्थल को महायोजना के अन्तर्गत हैरीटेज जौन हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुस्यू विकसित किया जाये ताकि इस स्थल को अनाधिकृत निर्माण से बचाया जा सके।

अतः उक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग को पार्क एवं क्रीड़ा स्थल में व्यवसायिक में परिवर्तित करने हेतु अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं स्वोक्तार्थ प्रस्तुत है।





विषय:- आईटी0क्रासिंग से रैदास मन्दिर के पश्चिम लगभग 1289 वर्ग
मीटर भूमि भू-परिवर्तन हेतु।
की ओर
प्रस्ताव

आईटी0क्रासिंग से रैदास मन्दिर सड़क के पश्चिम की ओर लगभग 1289 वर्ग मी0 का भूखण्ड जिसकी स्थिति संलग्न मानचित्र में लालरंग से अंकित की गयी है, विकास प्राधिकरण के कब्जे में है। पूर्व महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग व्यवसायिक हेतु आरक्षित था तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 2 व्यवसायिक ब्लॉक का निर्माण किया गया, लेकिन महायोजना 2001 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय दर्शाया गया है, जबकि संशोधित मास्टर प्लान में इसका भू-उपयोग व्यवसायिक था। लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रश्नगत भूखण्ड को व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग करना चाहता है। महायोजना 2001 के अन्तर्गत वर्तमान निर्मित/विकसित क्षेत्र हेतु जौनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत व्यवसायिक उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य है।

अतः बोर्ड के समक्ष प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग को आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

Original

3/3

डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण/पुर्नग्रहण सम्बन्धी प्रस्ताव को कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6 के अर्जनीय प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के तमाम विचारार्थ आख्या:-

कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6 {रायबरेली रोड} के अन्तर्गत प्रथम चरण में पांच ग्रामों की कुल भूमि 1228.49 एकड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया था। उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत 904.16 एकड़ कृषि भूमि अर्जित करने हेतु प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 28.3.87 द्वारा स्वीकृत किया गया। तदनुसार ही उक्त प्रस्ताव धारा-4 के प्रकाशन हेतु दिनांक: 25.6.87 को जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया, जिसमें विभिन्न आपत्तियाँ होने के कारण अभी तक धारा-4 की विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं हो पाया है।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत डा० भीमराव अम्बेडकर विश्व-विद्यालय के प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण/पुर्नग्रहण सम्बन्धी प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें मुख्यतः दो ग्रामों {औरंगाबाद खालसा एवं औरंगाबाद जागीर} की भूमि 205.25 एकड़ सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त इन्हीं ग्रामों के अन्तर्गत 15.54 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। इस प्रकार कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6 के प्रस्ताव से कुल 221.06 एकड़ भूमि डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु पृथक करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की ओर से आग्रह किया गया है। प्रश्नगत भूमि के उत्तरा संसंध क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

अतः डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु ग्राम औरंगाबाद खालसा एवं औरंगाबाद जागीर की भूमि 221.06 एकड़ कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6 के अर्जनीय प्रस्ताव से पृथक करने हेतु प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक के तमाम विचारार्थ प्रस्तुत है।

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

डा. बी.आर. उन्नेकर विद्यापीठस्य पत्रिका
 आंतरिक भूमि की व्यवस्था का विवरण ।

कुल भूमि

	बीघा	दिसवा	दिवेकी	एकड़ में
ग्राम औरंगाबाद शाहता, परगना के जिला मदनपुर ।	314	00	09	196.26
ग्राम औरंगाबाद जागीर, परगना के जिला मदनपुर ।	14	16	04	9.26
	<u>328</u>	<u>16</u>	<u>13</u>	<u>205.52</u>


ग्राम शाहता की भूमि


ग्राम औरंगाबाद शाहता, परगना के जिला मदनपुर ।	23	02	07	14.45
ग्राम औरंगाबाद जागीर, परगना के जिला मदनपुर ।	01	14	15	1.09
	<u>24</u>	<u>17</u>	<u>02</u>	<u>15.54</u>

कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6 रायबरेली रोड के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्राम हैबतमऊ मवैया के खसरा सं०- 1717 की भूमि को अर्जनीय प्रस्तावसे बहिष्कृत करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में विचारार्थ आहवा:-

कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6 रायबरेली रोड के अन्तर्गत प्रथम चरण में 5 ग्रामों की कुल भूमि 1228.69 एकड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया था। उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत 904.16 एकड़ कृषि भूमि अर्जित करने हेतु प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 28.3.87 द्वारा स्वीकृत किया गया तदनुसार ही उक्त प्रस्ताव धारा-4 के प्रकाशन हेतु दिनांक: 25.6.87 को जिलाधिकारी को प्रेषित कर दिया गया जिसमें विभिन्न कमियां इंगित की जाने के कारण अभी तक धारा-4 की विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं हो पाया है।

योजना स्थल का निरीक्षण एवं स्थिति का विश्लेषण करने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम हैबतमऊ मवैया के खसरा सं०- 1717 की भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अपने भवन एवं धार्मिक प्रतिष्ठान मंदिर आदि का निर्माण कर लिया है, जिसका क्षेत्रफल बीघा: 1-14-2-18 है। स्थल निरीक्षण से इसकी पुष्टि की गई तथा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी इसे मुक्त करने की संसुक्ति की है। तदनुसार कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6 रायबरेली रोड के ग्राम हैबतमऊ मवैया के खसरा सं०- 1717 की भूमि क्षेत्रफल बीघा: 1-14-2-18 को अर्जनीय प्रस्ताव से बहिष्कृत करने हेतु प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक के लिये विचारार्थ प्रस्तुत है।


सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,


उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

विषय: श्री बाबू लाल यादव को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड की रिवायती दर लिये जाने के सम्बन्ध में,

आख्या: श्री राम चन्द्र यादव तथा श्री बाबू लाल यादव ने अपने प्रार्थना-पत्र दि० 24.5.83 द्वारा सूचित किया कि उनकी लगभग 20 बीघा जमीन लेज फार्म में तथा लगभग 3 बीघा जमीन खसरा नं० 53 में अर्जित की गई। इसके अतिरिक्त गोमती नगर योजना में भी प्रार्थीगणों की जमीन खसरा नं० 1346-रकबा-1 बीघा 13 बिसवा तथा खसरा नं० 1361-रकबा-4-बिसवा 14 बिसवांसी अर्जित कर ली गई। इन दोनों खसरा नम्बरों की भूमि वर्ग मीटर में क्रमशः 4173.32 वर्गमी० तथा 1859.03 वर्गमी० आती है। उपरोक्त प्रार्थीगणों ने एक-एक भूखण्ड गोमती नगर योजना के उसी भूमि पर आवंटित करने हेतु अनुरोध किया तथा यह भी अनुरोध किया कि भूखण्ड योजना की आधी दर पर दिया जायें।

2. उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् तत्कालीन अधि०अभि०/सु०अभि० द्वारा सम्बन्धित पत्रावली में छिपवणी प्रस्तुत की गई जिसमें यह अंकित किया गया कि श्री यादव की अर्जित भूमि पर भूखण्ड सं० 1/33ए तथा 1/33ए दे दिये हैं। यदि श्री यादव को भूखण्ड सं० 1/33ए दे दिया जायें तो भूखण्ड सं० 1/33 फ्री हो जायेगा। सम्बन्धित अधि०अभि० द्वारा यह आख्या माह अप्रैल 90 में दी गई थी। उसके पश्चात् पत्रावली संपत्ति-विभाग तथा अधि०अभि० खण्ड के बीच चलती रही, अन्ततोगत्वा भूखण्ड सं० 1/33ए श्री बाबू लाल यादव को ^{दिनांक 11/2/92} तत्कालीन उपाययुक्त द्वारा आवंटित किया गया। इसके आवंटन के पश्चात् उस समय प्रचलित दर रु० 750/- प्र० वर्गमी० के अनुसार उपरोक्त भूखण्ड का मूल्यांकन किया गया जिसके सम्बन्ध में श्री गोमती यादव विधायक ने अपने पत्र दि० 1.5.92 प्रतिलिपि संलग्न द्वारा सूचित किया कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। श्री यादव का कहना है कि जिस प्रकार अन्य व्यक्तियों को जिनकी भूमि गोमती नगर योजना में अर्जित की गई थी, उन्हें रिवायती दर पर भूखण्ड दिये गये, उसी दर पर उन्हें भी दिया जायें क्योंकि श्री बाबू लाल यादव द्वारा प्रार्थना-पत्र दि० 24.5.83 को दिया गया था, जिस पर ल० वि० प्रा० द्वारा आवंटन की कार्यवाही न करने में श्री यादव की कोई गल्ती नहीं है।

3. इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि ल० वि० प्रा० की विभिन्न योजनाओं में अर्जित भूमि के बदले भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में विधाय प्रार्थीकरण की बैठक दि० 6.9.86 तथा 11.12.86 में प्रस्तुत किया गया था

उपरोक्त दोनों बैठकों का कार्यवृत्त तथा लिया गया निर्णय संलग्न है।
 श्री. भूमि वर्ग 1982 में अर्जित की गई थी, अतः यदि प्राधिकरण की बैठक
 दि० 11.12.86 में लिये गये निर्णय के अनुसार गणना की जायें तो अनुमानित
 दर रु 347:55 प्र० व० मी० आती है। यह गणना संलग्न है। यह गणना
 अनुमानित है क्योंकि इस खसरा नम्बर की भूमि का कब्जा जिस तिथि में
 लिया गया था, उस तिथि से गणना की जानी है। इस प्रकार बहुत थोड़ा
 सा अन्तर होने की संभावना हो सकती है।

4. परन्तु प्राधिकरण की बैठक दि० 6.9.86 तथा दि० 11.12.86 में
 उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधा प्राधिकरण
 की बैठक दि० 27.7.90 में लिये गये निर्णय के तारतम्य में समाप्त हो गई।
 प्राधिकरण की बैठक दि० 27.7.90 में रखा गया निर्णय तथा उस पर लिया
 गया निर्णय संलग्न है। प्राधिकरण द्वारा इस बैठक में पूर्व निर्णय को निरस्त
 कर दिया गया, फलस्वरूप प्राधिकरण की बैठक दि० 27.7.90 में लिये गये निर्णय
 के अनुसार अब उपरोक्तानुसार गणना श्री यादव के मामले में नहीं की जा
 सकती है। श्री यादव ने भूखण्ड आवंटित करने हेतु अर्जित भूमि के बदले
 दि० 24.5.83 को ही अपना प्राप्ति-पत्र दिया था और किाच प्राधिकरण
 कार्यालय में ही लंबित रहा। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि
 श्री सोमती यादव, क्षेत्रीय विधायक हैं तथा इनका महाग योजना के
 कार्यविम्वन में महत्वपूर्ण व आवश्यक रहा है तथा रहेगा। अतः प्राधिकरण
 हित में यह प्रस्ताव है कि उपरोक्त मामले में प्राधिकरण की बैठक
 दि० 11.12.86 में लिये गये निर्णय के अनुसार दर निय जाने की सुविधा
 प्रेषण प्राधिकरण अनुमोदित करने का कष्ट करें।

(Handwritten signature)
 CHRP

(प्रमुख निदेशक, मुद्रा)
 1/10/87
 संयोजक विभाग, नगरपालिका

प्रस्ताव

विषय:- राज्य नगरीय क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग पैटर्न को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग पैटर्न पर आवासीय निर्माण तथा विनियमित नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत निजी निर्माताओं हेतु ग्रुप हाउसिंग योजना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण स्तर से भवनों के नक्शे स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 8592/9आ-5-91-18एसबी/90 दिनांक: 19-11-91 के प्रस्तर 6878 में यह प्राविधान किया गया है कि "ग्रुप हाउसिंग भवनों के प्रस्ताव/नक्शे प्राधिकरण के स्तर से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 में निहित प्राविधानों के अनुरूप स्वीकार किये जाय किन्तु चार मंजिले अथवा उससे अधिक मंजिलों के भवनों के नक्शे प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में स्वीकृत हेतु अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाय"।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में 4 मंजिले अथवा उससे अधिक मंजिलों के भवन मानचित्रों की स्वीकृत करने में प्रायः प्रस्ताव बोर्ड से स्वीकृत होने में काफी समय लग जाता है। इस परिपेक्ष्य में, जैसा कि शासनादेश संख्या: 8592/9आ-5-91-18एसबी/90 दिनांक: 19-11-91 के प्रस्तर 6878 में प्राविधानित है, ग्रुप हाउसिंग के 4 मंजिले अथवा अधिक मंजिलों के प्रस्तावों पर विचार करने एवं अपनी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखने हेतु उपाध्यक्ष के स्तर पर बिम्ब सदस्यों की एक समिति गठित कर दी जाय जो यातायात, जलापूर्ति, मलोत्सारण अग्निशमन आदि की समाचत व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी:-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि
2. सचिव, वि०प्रा०लखनऊ
3. मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक
4. मुख्य अभियन्ता

अतः उक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग हेतु उपाध्यक्ष सहोदय के स्तर से समिति के गठन की अनुमति हेतु प्रस्तुत है।

Prasad
3/19/92

3/3

प्रस्ताव

विषय:- गोमती नगर योजना के फेज-1 के अन्तर्गत विभिन्न कारणों से आवंटियों को कब्जा न दिये जाने के कारण कितनी अन्य स्थल पर पुनः आवंटन के संदर्भ में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर योजना के विजय खण्ड फेज-1 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के भूखण्डों हेतु संज्ञाकरण खोला गया था, किन्तु 144 आवंटियों को आवंटित भूखण्डों पर अनाधिकृत निर्माण, कब्रिस्तान एवं स्टे आदि होने के कारण भूखण्डों का कब्जा नहीं दिया जा सका। इस प्रकरण से सम्बन्धित 144 भूखण्ड हैं जिनके अन्तर्गत 38 भूखण्ड श्रेणी "ए" जिनका क्षेत्रफल लगभग 540 वर्ग मी० है, 73 भूखण्ड श्रेणी "ब" जिनका क्षेत्रफल लगभग 288 वर्ग मी० तथा 33 भूखण्ड श्रेणी "स" जिनका क्षेत्रफल लगभग 115 वर्ग मी० के हैं की सूची अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है। प्रार्थीगणों को पिछले लगभग 4 वर्षों से भूखण्ड उपलब्ध न होने के कारण विकसित प्राधिकरण पर दिन प्रति दिन अन्य वैकल्पिक स्थल पर भूखण्ड उपलब्ध करवाये जाने हेतु दबाव पड़ रहा है तथा यह विकास प्राधिकरण का दायित्व भी है कि मितिंग भूखण्डों के समायोजन हेतु कितनी वैकल्पिक स्थल की खोज की जाय। इस परिपेक्ष्य में उपरोक्तानुसार 144 मितिंग भूखण्डों के समायोजन हेतु लगभग 18 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

लखनऊ महायोजना 2001 के अन्तर्गत विशाल खण्ड के दक्षिण की ओर लगभग 16.5 एकड़ भूमि जितको संलग्न अभिन्यासचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है विकास प्राधिकरण के कब्जे में है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना 2001 के अन्तर्गत स्पेस्लाइज़्ड टाइप ऑफ़ शोशल एवं कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ़ प्राविंशियल एंड नेशनल इम्पारटेंस हेतु आरक्षित है। उपरोक्त के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण के पास ऐसी कोई भूमि उपलब्ध नहीं है जिनके अन्तर्गत 144 आवंटियों को समायोजित किया जा सके। समायोजित करने से पूर्व यह अति आवश्यक है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग स्पेस्लाइज़्ड टाइप ऑफ़ शोशल एवं कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ़ प्राविंशियल एंड नेशनल इम्पारटेंस से आवासीय में परिवर्तित किया जाय।

अतः बोर्ड के सनख संलग्न सूची के अनुरूप 144 आवंटियों को विशाल खण्ड के दक्षिण की ओर उपलब्ध 16.5 एकड़ भूमि में समायोजित करने हेतु भूमि का भू-उपयोग स्पेस्लाइज़्ड टाइप ऑफ़ शोशल एवं कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ़ प्राविंशियल एंड नेशनल इम्पारटेंस से आवासीय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

CSM

de
3/1/20

- § 2§ प्राधिकरण के कार्यों को प्राइवेट सेक्टर में देने हेतु योजना बनाई जाय ।
- § 3§ अति विशेष परिस्थितियों में अवशेष धनराशि की किराये करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।
- § 4§ बैलेन्सशीट में असेट्स ऐण्ड लायबिल्टी का पूरा-पूरा विवरण रखा जाय ।
- § 5§ विभिन्न श्रोतों से प्राप्त ऋणों को एक योजना से दूसरी योजना में प्रयोग न किया जाय ।
- विषय संख्या: 3 सलेज फार्म की भूमि के प्रतिकर हेतु हुडको से ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । प्राधिकरण की आगामी बैठक में इस योजना से होने वाले लाभ की सम्पूर्ण आख्या प्रस्तुत की जाये ।
- विषय संख्या: 4 भूमि अर्जन के अन्तर्गत, आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत व आपरेशन फाइनेन्स के अन्तर्गत हुडको या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु प्राधिकरण की ओर से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रस्ताव पारित करने का अधिकार ।
- निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि समय-समय पर हुडको द्वारा निर्धारित शर्तों को मानने, ऋण प्राप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित करने हेतु उपाध्यक्ष को एवं अनुबन्ध आदि सम्पादित करने व कामन सील लगाने हेतु उपाध्यक्ष/सचिव/मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राधिकृत किया गया ।
- विषय संख्या: 5 गोमती नगर योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु भवनों का वित्त-पोषण हुडको से करने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि योजना का पूर्ण विवरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाये ।
- विषय संख्या: 6 श्री एन0के0नारंग को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड संख्या: 2/181, विजय खण्ड की दर निर्धारित करने के संबंध में ।
- निर्णय: विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह मामला ज्ञातन को निर्दिष्ट सन्दर्भित कर दिया जाये ।

विषय संख्या: 7

प्राधिकरण की योजनाओं में ग्रुप-हाउसिंग हेतु भूखण्डों का निस्तारण ।

निर्णय:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ग्रुप-हाउसिंग हेतु आवासीय भूखण्डों को नीलामी पद्धति द्वारा बेचा जाय । व्यवसायिक भूखण्डों को ग्रुप-हाउसिंग हेतु देने के लिये विशिष्ट प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये जायें ।

विषय संख्या: 8

गोमती नगर योजना में मे० इण्डियन होटल ताज को आवंटित भूमि से संलग्न ग्रीन-बेल्ट की भूमि के आवंटन के संबंध में ।

निर्णय:

विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में भूमि दिये जाने व उसकी दरें निर्धारित करने के दूरगामी प्रभाव होंगे क्योंकि प्राधिकरण से होटल निर्माण हेतु भूमि क्रय करने वाले अन्य व्यक्ति भी हरित पट्टी की माँग कर सकते हैं । इस प्रकार की माँग लखनऊ विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य प्राधिकरणों में भी की जा सकती है । इस लिये यह निर्णय लिया जाना आवश्यक है कि होटल निर्माण हेतु जो भूमि आवंटित की जाये उसके आवंटित क्षेत्रफल के अनुपात में कितनी भूमि हरित-पट्टी बनाने हेतु दी जा सकती है । इस प्रकार की भूमि के संबंध में मुआवजे या लीजरेण्ट की राशि भी तय करनी होगी । ऐसी भूमि गार्डन लीज पर दी जाये । या लाइसेन्स के आधार पर तथा अवधि कितनी रखी जाय । यह भी निर्णय आवश्यक है । ऐसा निर्णय प्रदेश के लिये एक दृष्टान्त बनेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट नीति निर्धारण की आवश्यकता है जो शासन स्तर पर हो हो सकता है । निर्णय लिया गया कि शासन से अनुरोध किया जाये कि ऐसे मामलों के दूरगामी प्रभावों को देखते हुए राज्य स्तर पर स्पष्ट नीति निर्धारित करने का कदम करें ।

विषय संख्या: 9

नेशनल म्युजियम आफ नैचुरल हिस्ट्री पर्यावरण विभाग को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विनीत खण्ड में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 6.71 एकड़ भूमि पर्यावरण विभाग को आवंटित कर दी जाये । शेष भूमि के बारे में अलग से स्पष्ट प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ।

:: 4 ::

- विषय संख्या: 10 नीबू पार्क नाले के समीप महायोजना के अन्तर्गत पार्क एवं क्रोडा स्थल हेतु आरक्षित भूमि के भू-उपयोग को व्यवसायिक में परिवर्तन करने के सन्दर्भ में ।
- निर्णय: निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० को इस विषय में स्थल निरीक्षण के उपरान्त शासन को परिवर्तन हेतु संस्तुति देने हेतु प्राधिकृत किया गया ।
- विषय संख्या: 11 आई०टी०क्रासिंग से रैदास मन्दिर के पश्चिम की ओर लगभग 1289 वर्ग मीटर भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।
- निर्णय: प्रस्ताव विचारोपरान्त वापस लिया गया ।
- विषय संख्या: 12 ड० भीम राव अम्बेडकर विश्व विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण सम्बन्धी सम्बन्धी प्रस्ताव को कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6 के अर्जनीय प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।
- निर्णय: बताया गया कि शासन स्तर पर प्रश्नगत भूमि को ड० भीम राव अम्बेडकर विश्व विद्यालय द्वारा अर्जित करने का निर्णय लिया जा चुका है । तदनुसार विकास प्राधिकरण इस भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही को वापस लेने व डि-नोटीफाई करने का निर्णय लेती है । अन्तिम आदेश जारी करने से पहले उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रशासक, ड० भीम राव अम्बेडकर विश्व विद्यालय से विचार-विमर्श भी कर लें ।
- विषय संख्या: 13 कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-7 राय बरेली रोड के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्राम हैबत मऊ मवण्या के खसरा संख्या: 1717 की भूमि को अर्जनीय प्रस्ताव से बहिष्कृत करने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह देख लिया जाय कि जिलाधिकारी द्वारा क्या कमिटी इंगित की गई हैं, कितना क्षेत्र निर्मित है तथा इसे अर्जन मुक्त किये जाने से योजना पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ।
- विषय संख्या: 14 श्री बाबू लाल यादव को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड को रियायती दर लिये जाने के संबंध में ।
- निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि क्योंकि प्रकरण में हुए निर्णय में विलम्ब के कारण विस्थापित व्यक्त

को लाभ नहीं प्राप्त हो सका, प्रस्ताव के प्रस्तर-4 में उल्लिखित प्ररिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या: 15 राज्य नगरीय क्षेत्रों में गृप-हाउसिंग पैटर्न को प्रोत्साहन देने के संबंध में।

निर्णय: प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या: 16 गोमती नगर योजना के फेज-1 के अन्तर्गत विभिन्न कारणों से आवँटियों को कब्जा न दिये जाने के कारण किसी अन्य स्थल पर पुनः आवँटन के संबंध में।

निर्णय: यद्यपि यह प्रस्ताव स्थगित किया गया परन्तु निर्णय लिया गया कि जिन आवँटियों का पूरा धन जमा है एवं उन्हें प्राधिकरण की किसी कठिनाई के कारण भूखण्ड आवँटन तथा कब्जा नहीं दिया जा सका है, उनको जब तक समायोजित नहीं कर लिया जाता है, तब तक किसी अन्य को भूखण्ड आवँटन न किया जाये।

ह0/=

॥ आर0 के0 सिंह ॥
सचिव,

ह0/=

॥ अतुल कुमार गुप्ता ॥
उपाध्यक्ष,

अनुमोदित

ह0/=

॥ सत0 डी0 बागला ॥
आयुक्त,

लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं

अध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।